वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

(23 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020)

भारत के लोकपाल

विषय सूची

1.	प्राक्कथन	v
2.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
3.	भारत के लोकपाल के संबंध में विधिक प्रावधानें	3
4.	भारत के प्रथम लोकपाल का गठन	12
5.	संगठन और बजट प्रावधान	22
6.	ई–अभिशासन, वेबसाइट, प्रतीक चिह्न एवं उद्देश्य	26
7.	शिकायत समाधान	31
8.	आगे का मार्ग	38

प्राक्कथन

मैं भारत के राष्ट्रपति को लोकपाल की पहला वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट में इसकी स्थापना से अर्थात् 23 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक लोकपाल के कार्यकलापों को शामिल किया गया है।

लोकपाल का गठन भारत की राजव्यवस्था में एक ऐतिहासिक घटना है, जो संसद में और बाहर वर्षों तक विचार–विमर्श के बाद अस्तित्व में आया। संसद के जरिए भारत के लोगों ने लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को डील करने में इसे पूर्ण आजादी देकर इस संस्थान में अत्यधिक विश्वास जताया है। हम इस विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करने के लिए वचनबद्ध हैं।

भ्रष्टाचार किसी देश के जीवन के हर पहलुओं पर क्षयकारी प्रभाव डालता है। यह विधि के शासन के दुर्बल बनाता है और इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, बाजार विकृत होता है और यह नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का क्षरण करता है। भ्रष्टाचार न केवल देश के आर्थिक विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है वरन् आबादी के बीच संसाधनों के साम्य वितरण को भी प्रभावित करता है। गरीब भ्रष्टाचार से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

अति प्राचीन समय से भ्रष्टाचार अच्छे अभिशासन के लिए खतरा रहा है। 'अर्थशास्त्र' में चाणक्य ने भ्रष्ट लोगों से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया है:

''आस्रावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु।
यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा।।''

राजा का कर्तव्य है कि (गबन करने वाले) राजकार्य में नियुक्त व्यक्तियों की संपदा छीन ले और उन्हें निम्नतर पदों पर अवनत कर दे, ताकि वे राज्य–धन न डकार पावें तथा उदरस्थ किये गये को उगल दें।

जबकि भ्रष्ट लोगों को कानून के अंतर्गत सख्ती से डील किया जाना चाहिए, इस समस्या का स्थायी समाधान केवल तभी उभरेगा, जब लोक सेवक लालच की प्रवृत्ति से ऊपर उठेंगे। इशोपनिषद अपने पहले श्लोक में लालच के नियंत्रण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। लोकपाल ने इस श्लोक के एक भाग *'मागृधःकस्यस्विद्धनम्''*; दूसरे के धन का लोभ न करें को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाया है।

पहले वर्ष में लोकपाल ने अनेक प्रारंभिक समस्याओं जैसे कि उपयुक्त कार्यालय परिसरों की अनुपलब्धता, स्टाफ की कमी आदि का सामना किया, जो किसी नए संस्थान के लिए सामान्य हैं। हमें इन समस्याओं को दूर करने में सभी मंत्रालयों, विशेषकर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से पर्याप्त सहयोग मिला है।

प्रारंभ से ही हम अपने कार्यकरण में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए कार्यालय प्रचालन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य शिकायतें करने और शिकायतों पर लोकपाल द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति भी जानने के लिए नागरिकों को एक ऑनलाइन डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है।

मैं प्रारंभिक अवधि में आधारभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद इस संस्थान को स्थापित करने और साथ ही नागरिकों की शिकायतों को डील करने के लिए कठिन कार्य करने के लिए लोकपाल के सभी सदस्यों और सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ।

पिनाकी चन्द्र घोष

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष

अध्याय 1

पृष्ठभूमि एवं परिचय

सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु भारत में लोकपाल की नियुक्ति की अपेक्षा पहली बार 1960 के दशक के प्रारंभ में की गई। दिनांक 3 अप्रैल, 1963 को लोक सभा में विधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस में भाग के लेते समय स्व. डॉ. एल. एम. सिंधवी ने भ्रष्टाचार से निपटने और लोक शिकायतों के निपटान के लिए ऑम्बड्समैन की तर्ज पर एक संसदीय आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। बहस के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का भी उल्लेख किया गया। शब्द 'लोकपाल' का व्युत्पत्ति अर्थ 'जनरक्षक' है। इस शब्द का उल्लेख 'ऑम्बड्समैन' की अवधारणा के भारतीय रूपांतर के रूप में किया गया, जो स्केन्डीनेवियन मूल का है और इसका अर्थ एक पदधारी है, जिसकी नियुक्ति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की जॉच के लिए किया गया है।

1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने आमजन की शिकायतों के निपटान के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त युक्त दो स्तरीय तंत्र की सिफारिश की। एआरसी की सिफारिश के अनुसार लोकपाल को केन्द्र सरकार और राज्यों में मंत्रियों और सचिवों के विरुद्ध शिकायतों को निराकरण करना था। एक केन्द्र के लिए और प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त को बाकी नौकरशाही के विरुद्ध शिकायतों को निराकरण करना था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और संविधान के कार्यकरण की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, 2002 (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने लोकपाल के नियुक्ति की विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश की।

पहली बार लोकपाल के गठन हेतु एक बिल लोकपाल और लोकायुक्त बिल, 1968 के रूप में चौथी लोक सभा में पेश किया गया था। तब से इस बिल को अनेक बार अर्थात् 1971,1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001 और 2011 में दो बार पेश किया गया। 4 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत लोकपाल बिल को परीक्षण हेतु विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 8 अगस्त, 2011 को भेजा गया। समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर लोकपाल बिल, 2011 को वापस ले लिया गया और 'लोकपाल और लोकायुक्त बिल, 2011' नामक एक संशोधित बिल 22 दिसंबर,

2011 को पुनः लोक सभा में पेश किया गया।

इस बिल को लोक सभा ने कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया। लोक सभा द्वारा यथा पारित बिल को राज्य सभा ने राज्य सभा की प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल, 2011 को संशोधित किया। बिल को कुछ संशोधनों के साथ राज्य सभा ने पारित कर दिया और आगे के अनुमोदन के लिए लोक सभा को वापस भेज दिया। लोक सभा राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित बिल को पास कर दिया। बिल को 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और उसे उसी दिन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 1) के रूप में अधिसूचित किया गया। अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी होने की तिथि 16 जनवरी 2014 नियत की। अधिनियम को लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा एक बार संशोधित किया गया है।

भारत ने 9 मई, 2011 को अनुसमर्थन का दस्तावेज जमा करके 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समागम' को अनुसमर्पित किया। यह समागम सदस्य राष्ट्रों पर अनेक दायित्व, कुछ अनिवार्य, कुछ संस्तुतिपरक और कुछ ऐच्छिक डालता है। इस समागम में अन्य बातों के साथ–साथ यह अभिकल्पित है कि राष्ट्र पक्ष घूसखोरी से संबंधित दोषों के अपराधीकरण के लिए घरेलू कानून में उपाय सुनिश्चित करेगा और इसके प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाएगा।

बिल के ''उद्देश्य एवं कारणों के विवरण'' में यथा उल्लिखित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का उद्देश्य मौजूदा कानूनी एवं सांस्थानिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है और इस प्रकार 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समागम' के अंतर्गत कुछ बाध्यताओं के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाना है।

अध्याय 2

भारत के लोकपाल के संबंध में विधिक प्रावधान

भारत के लोकपाल का क्षेत्राधिकार

लोकपाल, निम्नलिखित के संबंध में किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन की जांच करेगा या जांच करायेगा, अर्थात्:–

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री है या रहा है:

परंतु लोकपाल, प्रधानमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्बलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की उस दशा मे जॉच नहीं करेगा,–

(i) जहां तक वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु उर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित है;

(ii) जब तक लोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिलकर बनी उसकी पूर्ण न्यायपीठ जांच आरंभ करने के बारे में विचार नहीं करती है और उसके कम से कम दो–तिहाई सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं करते हैं:

(ख) कोई व्यक्ति जो संघ का मंत्री है या रहा है;

(ग) कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या रहा है;

(घ) लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की है;

(ड.) धारा 20 की उपधारा (1) के प्रावधान के अध्यधीन, लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदधारी या उसके समतुल्य पदधारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की है;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित या इसके द्वारा नियंत्रित निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसायटी या न्यास या स्वशासी निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा है।

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे (चाहे उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 20 जून 2016 की एक अधिसूचना द्वारा इस राशि को एक करोड़ रूपए विहित किया है। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक आय की गणना के लिए केवल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और वित्तीय सहायता पर ही विचार किया जाना अपेक्षित है।

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन एक वर्ष में किसी विदेशी स्रोत से दस लाख रुपए से अधिक या ऐसी उच्चतर राशि का, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास (चाहे उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश और चयन समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध विधिवेता शामिल होते हैं, की सिफारिश प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे सत्तर वर्ष के न हो जाएं, पद पर रहेंगे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। अध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते और देय पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद ऐसे परिवर्तित नहीं की जा सकती है, जो उनके लिए अलाभकर हो।

हटाने की प्रक्रिया

अध्यक्ष या सदस्य को आरोपों की जांच के बाद केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर दुर्व्यवहार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसी जांच आयोजित करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को संदर्भ कम से कम एक सौ सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त के बावजूद राष्ट्रपति अध्यक्ष और किसी सदस्य को दिवालियापन, किसी भुगतान प्राप्त रोजगार में नियुक्ति आदि के आधार पर पद से हटा सकते हैं।

लोकपाल के सचिव, पदधारी और अन्य स्टाफ

भारत सरकार के सचिव के स्तर में लोकपाल के सचिव को केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम से कम भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य स्तर में जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक को अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से नियुक्त किया जाता है। लोकपाल के अधिकारियों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा यथा निदेशित ऐसे सदस्य या लोकपाल के अधिकारी द्वारा की जाती है।

लोकपाल के व्यय का भारत की संचित निधि पर भारित होना

लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या स्टाफ के संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन सहित लोकपाल के प्रशासनिक व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा।

लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच और अन्वेषण

जब कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो लोकपाल अपने जांच खंड, केन्द्रीय सतर्कता आयोग

(सीवीसी), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन या किसी अन्य एजेंसी को प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकती है कि क्या इस मामले में कार्यवाही करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और लोक सेवक को सुने जाने का एक अवसर देने के बाद लोकपाल दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन या किसी अन्य एजेंसी द्वारा अन्वेषण या विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे सकता है।

प्रत्येक प्रारंभिक जांच सामान्यतया शिकायत प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर और लिखित में कारणों को रिकॉर्ड करके और नब्बे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। लोकपाल द्वारा आदेशित अन्वेषण इसके आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। लोकपाल लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों से इस अवधि को एक बार में अधिक से अधिक छह माह की और अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

तलाशी एवं जब्ती

यदि लोकपाल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई प्रलेख, जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्वेषण के लिए उपयोगी या संगत होगा, किसी स्थान पर छिपाया गया है, तो यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहित किसी एजेंसी को, जिसे अन्वेषण का काम दिया गया है, ऐसे प्रलेखों की तलाशी और जब्ती के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

परिसंपत्तियों की कुर्की

जहां लोकपाल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित एक अपराध करने का दोषी है और उसके अधिकार में भ्रष्टाचार की कोई प्राप्ति है, तो लोकपाल ऐसी संपत्ति का आदेश की तिथि से अधिकतम नब्बे दिन की अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्की कर सकता है। जब लोकपाल किसी संपत्ति का अनंतिम रूप से कुर्की करता है, तो ऐसी कुर्की के तीस दिनों की अवधि के भीतर अपने अभियोजन खंड को निर्देश देता है कि विशेष अदालत के समक्ष ऐसे कुर्की के तथ्य का उल्लेख करके एक आवेदन दायर करे और विशेष अदालत में जन सेवक के विरुद्ध कार्यवाही पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की प्रार्थना करे।

लोक सेवक का स्थानांतरण या निलंबन

जहां लोकपाल प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि प्रारंभिक जांच आयोजित करने के दौरान अपने पद पर लोक सेवक का बने रहना ऐसी प्रारंभिक जांच को बुरी तरह प्रभावित कर

सकता है या ऐसा लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या किसी तरह इसमें हेरफेर कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो लोकपाल आदेश में विहित की जाने वाली ऐसी अवधि तक ऐसे लोक सेवक को उसके द्वारा धारित पद से स्थानांतरित या निलंबित करने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर सकता है। केंद्र सरकार केवल उन मामलों को लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से जहां ऐसा करना प्रशासनिक कारणों से व्यवहार्य नहीं होता है, सामान्यतया लोकपाल की सिफारिश को स्वीकार करेगी।

अभियोजन मंजूर करने की शक्ति

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में निहित किसी बात के होते हुए भी लोकपाल को लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति होगी, जिसके खिलाफ इसने अन्वेषण का आदेश दिया है। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के संबंध में अन्वेषण एजेंसी अधिकार क्षेत्र वाली अदालत को अन्वेषण रिपोर्ट जमा करेगी और एक प्रति लोकपाल को भेजेगी। कम से कम तीन सदस्यों की पीठ रिपोर्ट पर विचार करेगा और आरोप पत्र दायर करने की मंजूरी देगा। लोकपाल अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण एजेंसी को विशेष अदालत में अभियोजन प्रारंभ करने का भी निर्देश दे सकता है। ऐसे मामलों में, लोक सेवक पर अपने शासकीय कर्तव्य के निवर्हन में कार्य करते हुए या तात्पर्यित रूप से कार्य करते हुए अभिकथित रूप से अपराध करने का आरोप किया गया है, तो उसके खिलाफ कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाएगा और लोकपाल की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी अदालत ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

जांच एवं अन्वेषण एजेंसियों का पर्यवेक्षण

लोकपाल के पास एजेंसी को प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के ऊपर अधीक्षण और निदेश देने की शक्ति होगी। लोकपाल द्वारा संदर्भित किसी मामले का अन्वेषण करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रारंभिक जांच के लिए इसे संदर्भित शिकायतों पर कृत कार्रवाई के संबंध में लोकपाल को एक विवरण भेजेगा। ऐसा विवरण प्राप्त होने पर लोकपाल ऐसे मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें

केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का संख्यांक 49) से या इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न मामलों को सुनने और निर्णीत करने के लिए उतनी विशेष अदालतों का गठन करेगी जितनी लोकपाल सिफारिश करे। विशेष अदालतें अदालत में मामला दायर करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक जांच को पूरा करना सुनिश्चित करेगी। यदि जांच एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, तो विशेष अदालत उसके लिए कारण को रिकार्ड करेगी और जांच को अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर या प्रत्येक ऐसे अधिकतम तीन माह की अवधि के अंत से पहले लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, लेकिन अधिकतम कुल दो वर्ष की अवधि के भीतर, पूरा करेगी।

असत्य शिकायत के लिए अभियोजन

जो भी कोई असत्य और तुच्छ या दु:खदायी शिकायत करता है, दोषी पाए जाने पर उसे जेल की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और दंड, जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दी जा सकती है। असत्य शिकायत करने वाले व्यक्ति के दोषी होने के मामले में वह ऐसे लोक सेवक, जिसके खिलाफ उन्होंने असत्य शिकायत की है, द्वारा मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी व्यय के अलावा क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी होगा। तथापि, सद्भाव में की गई शिकायतों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

परिसंपत्तियों की घोषणा

इस अधिनियम की घोषणा की तिथि को और इस तिथि से प्रत्येक लोक सेवक ऐसे प्रपत्र में और तरीके से, जो निर्धारित किया जाए, अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की घोषणा करेगा।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधान, इस अधिनियम के अलावा किसी नियमन या इस अधिनियम के अलावा किसी नियमन के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में निहित उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

लोकपाल (परिवाद) नियम 2020

केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा–59 (2)(क) के तहत् 2 मार्च 2020 को लोकपाल (परिवाद) नियम 2020 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में शिकायतों का रूप एवं फाइल करने और लोकपाल द्वारा शिकायतों पर कार्यवाई करने का तरीका शामिल है।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान है कि कोई मामला, जिसके संबंध में लोकपाल को शिकायत की गई है, को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जांच के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा। जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया है ताकि यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के इस प्रावधान के अनुरूप हो सके। धारा 3 की उपधारा (1) में ''समुचित सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल को लोक सेवक के अभियोजन के लिए स्वीकृति देने की शक्ति है, जिसके विरूद्ध इन्होंने अन्वेषण का आदेश दिया है। इस प्रावधान के अनुरूप अधिनियम की धारा 19 में 'जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय' शब्द को जोड़कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया है।

दंड प्रकिया संहिता, 1973 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुरूप दंड प्रक्रिया संहिता को लाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–197 में ''पूर्व मंजूरी के बिना'' शब्द के पश्चात् ''लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम–2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय'' शब्द जोड़े गए हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के कुछ उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

i. केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल द्वारा किए गए संदर्भ पर सभी श्रेणी के पदधारियों के विरूद्ध शिकायत को जाँच करने की शक्ति दी गई है। इस उद्देश्य हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में धारा 8, उपधारा (2) में खंड (ग) शामिल किया गया है।

ii. केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में केंद्र सरकार के समूह ग और समूह घ पदधारियों से संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच के आधार पर किसी एजेंसी द्वारा अन्वेषण कराने या विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कराने की शक्ति दी गई है (धारा 8ख)।

iii. केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में केंद्र सरकार के समूह ग और समूह घ पदधारियों से संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच के आधार पर विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर करने या विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है (धारा 8ख)।

iv. लोकपाल द्वारा आयोग को संदर्भित प्रारंभिक जाँच के आयोजन हेतु कम से कम भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर में जांच निदेशक नियुक्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में एक उपबंध किया गया है (धारा 11 क)।

शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च, 2019

27 मार्च 2019 को लांकपाल सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह

23 मार्च 2019 का लोकपाल अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह

अध्याय 3

भारत के प्रथम लोकपाल का गठन

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 23 मार्च, 2019 को उन्हें पद की शपथ दिलाई। बाद में, चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा 27 मार्च, 2019 को पद की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त जीवन वृतांत निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष

उन्होंने वाणिज्य स्नातक की डिग्री संत जेवियर कॉलेज और विधि स्नातक की डिग्री कलकत्ता

विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बाद में वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में विधि न्यायवादी बने। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और अंदमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की। जुलाई, 1997 में उन्हें कलकता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 2012 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की। उन्होंने एनएएलएसएआर, हैदराबाद के कुलाधिपति के रूप में भी सेवा की। 2013 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 29.6.2017 से 21.3.2019 तक उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में सेवा की।

न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबासाहेब भोसले

उन्होंने शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई से विधि में डिग्री प्राप्त की। उन्हें 45 वर्ष की आयु में 22 जनवरी, 2001 को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्नत किया गया। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश के रूप में सेवा की। वे 15 माह (2015–16) के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने एनएएलएसएआर, हैदराबाद और डीएसएनएलयू विश्वविद्यालय, विशाखापतनम् के कुलाधिपति के रूप में भी अपनी सेवा दी। उन्हें 30 जुलाई, 2016 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वे वहां से 23 अक्तूबर, 2018 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 27 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 12.01.2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी

उन्हें 26.03.1984 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में भरती की गई। उन्होंने स्थायी काउन्सेल के रूप में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, बोर्डों एवं निगमों का प्रतिनिधित्व किया। वह 1995 से 2002 तक केन्द्र सरकार की स्थायी काउन्सेल भी रहीं। बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य के अपर महाधिवक्ता के रूप में सेवा की। उन्हें 01.12.2005 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में उन्नत किया गया। उन्हें 25.09.2006 को गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 09.02.2018 को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें उस राज्य की पहली महिला मुख्य न्याशधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें 17.05.2018 को गुजरात राज्य मानवाधिकर आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती

उन्होंने 1978 में विधिक परिषद में कार्यग्रहण किया। उन्हें उड़ीसा राज्य विधिक परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया और वे तीन कार्यकाल तक इस पद पर बने रहे। बाद में उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय विधिक एसोशिएन के सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया। उन्होंने 7.3. 2002 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश और 6.3.2004 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें पांच बार उड़ीसा उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा की। उन्होंने दिसंबर 2012 से अप्रैल 2016 तक कार्यपालक अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में सेवा की। उन्होंने एनएलयू, कटक और एनयूएसआरएल, रांची के कुलाधिपति के रूप में भी सेवा की। उन्हें 27 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी

उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से प्रतिष्ठा के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और परिसर विधि केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि का अध्ययन किया। उन्होंने सेवा, संवैधानिक, करारोपण, उत्पाद एवं वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में पटना उच्च न्यायालय में 1981 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वे भारतीय संघ एवं आयकर विभाग के स्थायी काउन्सेल थे। उन्होंने बिहार राज्य के अपर महाधिवक्ता के रूप में भी सेवा की। उन्हें 9 अक्तूबर, 2006 को पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में उन्नत किया गया और वे 21.11.2007 से स्थायी न्यायाधीश बन गए। उन्होंने बिहार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की। 28 मार्च 2019 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे। दुर्भाग्यवश 2 मई 2020 को न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी की मृत्यु हो गई।

श्री दिनेश कुमार जैन

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से बी.टेक एवं एम.टेक किया। इसके उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हल्ल, यूनाइटेड किंगडम से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में कार्यग्रहण किया। भारत सरकार में उन्होंने संयुक्त सचिव (नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय और अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में काम किया है। उन्होंने महाराष्ट्र शासन में सचिव, ग्रामीण विकास, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्त सचिव सहित विभिन्न पदों पर सेवा की। उन्हें मई 2018 में महाराष्ट्र शासन का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम

वह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलीफोर्निया, यूएसए से अपराधशास्त्र में एम.एस. डिग्री भी अर्जित की है। उन्होंने 1980 बैच में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में कार्यग्रहण किया और उन्हें तमिलनाडु काडर आबंटित किया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, नीलगिरी, पुलिस अधीक्षक (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक) और उप महानिरीक्षक, वेल्लोर रेंज के रूप में काम किया। उन्होंने भारत सरकार में डीआईजी, सीबीआई के रूप में भी सेवा की है। उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में पहली महिला संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। अपर पुलिस महानिरीक्षक के रूप में वह अभियोजन निदेशालय, ईओडब्ल्यू, अपराध शाखा सीआईडी और पुलिस आवास निगम, तमिलनाडु की प्रमुख रही। उन्हें 2012 में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने डीजी, तमिलनाडु वर्दी सेवा भर्ती बोर्ड, चेन्नै और डीजी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में सेवा की। 2016 में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति पर उन्होंने भारत में अर्द्ध सैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्हें 1995 में मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2005 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। उन्हें 27 मार्च 2019 को भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री महेन्द्र सिंह

उन्होंने 1980 में अंग्रेजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1981 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद) में कार्यग्रहण किया। अपनी विशिष्ट आजीविका के दौरान उन्होंने देश भर में तस्कर निवारण, ड्रग अवैध व्यापार निवारण, केंद्रीय उत्पाद आसूचना के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यभार को संभाला। उन्हें बड़ी संख्या में तस्करी और कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स को तोड़ने का श्रेय प्राप्त है। उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दो बार ''प्रशंसा प्रमाणपत्र'' प्रदान किया गया। उन्हें 2017 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में सदस्य (जीएसटी) के रूप में उन्नत किया गया। सदस्य (जीएसटी) के रूप में उन्होंने 1 जुलाई 2017 को शुरू किए गए जीएसटी – भारत में सबसे बड़ा कर सुधार को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के एक दल का नेतृत्व किया। उन्हें 27 मार्च 2019 को भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

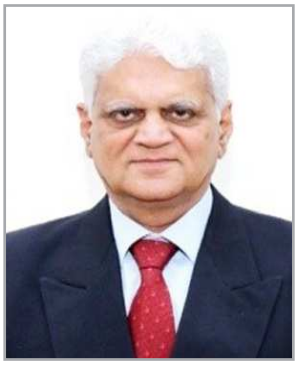

डॉ. इंद्रजीत प्रसाद गौतम

उन्होंने 1976 में मास्टर डिग्री और 1980 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सीईपीटी विश्वविद्यालय अहमदाबाद से पीएच.डी. प्राप्त की। डॉ. गौतम ने अपनी आजीविका की शुरूआत सहायक आयुक्त, आयकर के रूप में भारतीय राजस्व सेवा से की और 1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यग्रहण किया। उन्होंने एसडीएम, कलक्टर, संयुक्त एमडी जीआईआईसी, निदेशक (वित्त) नर्मदा परियोजना, एमडी गुजरात पावर कारपोरेशन, सचिव उर्जा, सचिव पत्तन और राजकोट और अहमदाबाद के निगमायुक्त के रूप में सेवा की। गुजरात सरकार के प्रधान सचिव के रूप में उन्होंने अनेक प्रमुख विभागों की अध्यक्षता की है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध परियोजनाओं जैसे कि बीआरटीएस, कंकड़िया झील फ्रंट, साबरमती नदी फ्रंट और मेट्रो रेल परियोजना अहमदाबाद का नेतृत्व किया। उन्होंने गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में भी सेवा की है। उन्हें 27 मार्च 2019 को भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

नए संगठन की चुनौतियां – प्रारंभिक दिन

चूंकि लोकपाल का गठन अधिनियम की अधिसूचना के बाद पहली बार किया गया है,

इसने उन सभी चुनौतियों का सामना किया, जो एक नया संस्थान/संगठन करता है। इन्हें इस प्रकार सारांशित किया जा सकता है:

i. प्रणालियों और प्रक्रिया को ठीक करना;

ii. अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के हिसाब से अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संभारतंत्र और अवसंरचना की योजना बनाना और प्रदान करना जैसे कि कार्यालय भवन, कार्यालय उपकरण, स्टाफ आदि;

iii. अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित वित्त और मानवशक्ति के हिसाब से संसाधनों की व्यवस्था एवं प्रबंध करना।

प्रारंभ के कुछ दिन भारत के लोकपाल का काम शुरू करने के लिए आवश्यक नियमों/विनियमों की पहचान करने और वरीयता देने पर खर्च किए गए। तदनुसार, अधिनियम की धारा 2 (ड.) के उपबंधों के अंतर्गत यथा अपेक्षित शिकायत के फॉर्म के लिए नियमों के अधिसूचित करने का प्रस्ताव सरकार के साथ उठाया गया। इसके अलावा, नागरिकों से प्राप्त हो सकने वाले शिकायतों के संसाधन के लिए न्यूनतम स्टाफ रखने पर फोकस करने का प्रयास किया गया। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रारंभ से ही और यद्यपि कि सरकार द्वारा शिकायत के फॉर्म के लिए नियम अधिसूचित नहीं किए गए थे, लोकपाल कार्यालय ने शिकायतें प्राप्त करनी शुरू की और उन पर कार्यवाई प्रारंभ की।

शिकायत नियमों की अधिसूचना और सचिवालय में स्टाफ रखने के संबंध में प्रगति को इस रिपोर्ट में अन्यत्र डील किया गया है। जहाँ तक संभारतंत्र समर्थन का संबंध है, काम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा भारत के लोकपाल को अत्यल्प स्टाफ के साथ अस्थायी कार्यालय स्थान प्रदान किया गया। तत्पश्चात् नवंबर 2019 में पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय एकांतर विवाद समाधान केंद्र (आईसीडीएआर) परिसर, प्लॉट नं. 6, वसंत कुंज, सांस्थानिक क्षेत्र, फेज– ।।, नई दिल्ली का एक भाग सरकार द्वारा भारत के लोकपाल को आबंटित किया गया। इस कार्यालय स्थान में परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को नियुक्त किया गया, ताकि इसे भारत के लोकपाल के कार्यालय लिए उपयोग किया जा सके। भारत के लोकपाल का कार्यालय 14 फरवरी 2020 को नए परिसर में स्थापित किया गया।

उपयुक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजटीय आवश्यकताओं और वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित आकलनों की भी गणना की गई और इसकी सूचना सरकार में उपयुक्त प्राधिकारी को दी गई।

समारोह में शपथ ग्रहण और सदस्य लोकपाल 27 मार्च, 2019

भारत के लोकपाल का प्रतीक चिन्ह एवं उद्देश्य का शुभारंभ

अध्याय 4

संगठन और बजट प्रावधान

मानव संसाधन

लोकपाल के सचिवालय के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में तीन सांविधिक पदों अर्थात सचिव, निदेशक, जांच और निदेशक, अभियोजन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि पत्र सं. 407/19/2019–एवीडी–IV (एलपी) दिनांक 04/09/2019 और पत्र सं. 407/03/2014–iv (बी) (भाग–2) दिनांक 27/09/2019 द्वारा सूचित किया गया है, भारत सरकार द्वारा 124 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों का विवरण और पदस्थता स्थिति परिशिष्ट–I में दी गई है।

नियुक्ति की विधि

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 10 के अनुसार लोकपाल के अधिकारियों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लोकपाल में स्टाफ की नियुक्ति को सुकर बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारत के लोकपाल के कुछ पदों को केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा से संबंधित संवर्गों में शामिल किया है। इन पदों का विवरण **परिशिष्ट– ।।** में है।

भारत के लोकपाल ने पत्र सं. ए–11011/01/2019–लोकपाल दिनांक 02/03/2020 द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ इस व्यवस्था पर अपनी सहमति दे दी है :

i. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग सेवा रिकार्डों के साथ कर्मचारियों के नाम का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष, भारत के लोकपाल को भेजेगा। उपयुक्त पाए जाने पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 10 के अंतर्गत लोकपाल

द्वारा उनकी तैनाती का आदेश जारी किया जाएगा।

ii. माननीय अध्यक्ष, भारत के लोकपाल की सहमति के बिना किसी कर्मचारी को वापस नहीं लिया जाएगा।

iii. भारत के लोकपाल के कार्यालय में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा।

iv. यदि खास पद के लिए एक उपयुक्त अभ्यर्थी डीओपीटी के पास उपलब्ध नहीं रहता है, तो भारत के लोकपाल अन्य सरकारी संस्थानों से भी प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को ले सकते हैं।

दूसरे पदों पर, जिन्हें डीओपीटी द्वारा किसी संवर्ग में शामिल नहीं किया गया है, नियुक्ति प्रारंभ में अन्य सरकारी संस्थानों से उपयुक्त पदधारियों को लेकर करने का प्रस्ताव है। बाद में सीधी भर्ती द्वारा पदधारियों को नियुक्त किए जाने पर भी विचार किया जाएगा।

नियुक्ति की स्थिति

भारत सरकार ने दिनांक 21 अगस्त, 2019 के डीओपीटी के आदेश द्वारा श्री बी. के. अग्रवाल, आईएएस (हि.प्र. : 85) को सचिव, भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने 4 सितंबर, 2019 को इस कार्यालय में कार्यग्रहण किया है। डीओपीटी से निदेशक जांच और निदेशक अभियोजन की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल भेजने का अनुरोध किया गया है।

यद्यपि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कुछ अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया है, भारत के लोकपाल के सचिवालय में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। कार्यालय को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए डीओपीटी से अनुरोध किया गया है कि पदों को यथासंभव शीघ्र भरे। 31.03.2020 को स्वीकृत और भरे गए पदों की स्थिति परिशिष्ट–I पर है।

स्टाफ की कमी को देखते हुए भारत सरकार के स्थायी मानकों के अनुसार रिक्त स्वीकृत पदों के मुकाबले चार परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। कार्यालय ने आउटसोर्सिंग के जरिए सत्रह डाटा एंट्री ऑपरेटरों को काम पर रखा है। स्वच्छता सेवाओं और सुरक्षा सेवाओं को भी आउटसोर्स किया गया है।

स्टाफ की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए प्रस्ताव

भारत के लोकपाल के सचिवालय के लिए स्टाफ की आवश्यकता का मूल्यांकन सभी

कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पाया गया है कि स्टाफ की वर्तमान स्वीकृत संख्या लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के लोकपाल को समनुदेशित कर्तव्यों के अनुसार सृजित होने वाले कार्यभार को हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 447 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदन निमंत्रण के लिए सरकार को भेजा गया है।

कार्यालय परिसर

भारत के लोकपाल ने 28.03.2019 से अशोक होटल में स्थापित अपने अस्थायी कार्यालय से काम करना शुरू किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को दिनांक 09.10.2019 के पत्र सं. डी–11011/1/2019–लोकपाल/1166 द्वारा भारत के लोकपाल के कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि देने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने दिनांक 13.11.2019 के पत्र सं. एल एंड डीओ/एल–II ए/डी–1472/2019/521 द्वारा सूचित किया है कि आबंटन के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

विधि कार्य विभाग ने किराये पर वसंत कुंज सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली में पूर्ववर्ती आईसीडीएआर भवन का एक भाग दिया है। भारत के लोकपाल के लिए इसे उपयुक्त बनाने हेतु भवन में आवश्यक जोड़ और परिवर्तन करने का काम सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया। कार्यालय ने 14.02.2020 से नए कार्यालय भवन में अपना प्रचालन शुरू कर दिया है।

बजट एवं व्यय

2019–20 के बजट आकलन में भारत के लोकपाल के लिए अलग प्रावधान करते हुए लोकपाल (भारित) के रूप में 2062 (सतर्कता) के मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष 00.102 लोकपाल (भारित) में कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय की मांग सं. 73 के अंतर्गत 101.29 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी। निधियों की कम आवश्यकता को देखते हुए 2019–20 के संशोधित आकलन के रूप में संशोधित करके 18.01 करोड़ रु. किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 तक कुल 16.40 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

2019–20 के दौरान बजट आबंटन एवं व्यय :

मुख्य शीर्ष : 2062 सतर्कता

लघु शीर्ष : 00.102 लोकपाल (भारित)

उप लघु शीर्ष : 01 स्थापना

वस्तु शीर्ष		वर्ष 2019–20 के दौरान बजट आबंटन और व्यय (रुपये)		
	विवरण	बजट आकलन (बी.ई.) (1)	संशोधित आकलन (आर.ई.) (2)	वास्तविक व्यय (3)
2062.00.102.01.00.01	वेतन	29,71,50,000	3,31,00,000	2,93,90,000
2062.00.102.01.00.02	मजदूरी	1,00,00,000	5,00,000	4,07,000
2062.00.102.01.00.03	समयोपरि भत्ता	5,00,000	2,00,000	0
2062.00.102.01.00.06	चिकित्सीय उपचार	1,00,00,000	10,00,000	6,77,000
2062.00.102.01.00.11	घरेलू यात्रा व्यय	2,50,00,000	20,00,000	8,53,000
2062.00.102.01.00.12	विदेशी यात्रा व्यय	1,50,00,000	10,00,000	0
2062.00.102.01.00.13	कार्यालय व्यय	20,00,00,000	5,00,00,000	5,25,92,000
2062.00.102.01.00.14	किराया, दर एवं कर	15,00,00,000	8,00,00,000	6,30,73,000
2062.00.102.01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	50,00,000	10,00,000	7,19,000
2062.00.102.01.00.27	लघु निर्माण कार्य	22,00,00,000	1,00,00,000	1,51,17,000
2062.00.102.01.00.28	व्यावसायिक सेवाएं	3,00,00,000	10,00,000	12,45,000
2062.00.102.01.00.50	अन्य प्रभार	2,50,000	3,00,000	0
कुल		**96,29,00,000**	**18,01,00,000**	**16,40,73,000**
4059.01.051.14.00.53	बड़े निर्माण कार्य जमीन का अधिग्रहण और भवन (लोकपाल भवन) का निर्माण	5,00,00,000	0	0
कुल योग		**101,29,00,000**	**18,01,00,000**	**16,40,73,000**

अध्याय 5

ई–अभिशासन, वेबसाइट, प्रतीक चिह्न एवं उद्देश्य

वेबसाइट

सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अपना वेबसाइट होना किसी संगठन का अनिवार्य अंग हो गया है। भारत के लोकपाल द्वारा लिए गए एक प्रारंभिक निर्णय में अपना स्वयं का वेब–पोर्टल विकसित करना था, जो अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करे:

i. हितधारकों को सभी अनिवार्य और उपयोगी सूचना प्रदान करना;

ii. आमजन को स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए भारत के लोकपाल के लिए एक मंच सृजित करना;

iii. ऑनलाइन उपस्थिति बनाना;

iv. एक संपर्क व्यवस्था प्रदान करना जो भारत के लोकपाल द्वारा प्राप्त होने मामलों की ऑनलाइन संसाधन का सुकर एवं समर्थ बनाएगा जैसे कि शिकायतें प्राप्त करना, शिकायतों का संसाधन करना और उस पर कार्रवाई करना आदि।

इन उद्देश्यों के साथ, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को भारत के लोकपाल के लिए वेबसाइट के विकास एवं अनुरक्षण का काम सौंपा गया। वेबसाइट की कार्यात्मक अपेक्षाएं बताने के लिए एनआईसी के साथ अनेक बार विचार–विमर्श और बैठकों का आयोजन किया गया। अंततः 16 मई 2019 को वेबसाइट प्रचालित हो गया और इसे http://lokpal.gov.in पर देखा जा सकता है।

भारत के लोकपाल के कार्यकरण के संबंध में अनिवार्य सूचना, जो नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकता है, को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सदस्यों और सचिवालयीय स्टाफ के संपर्क ब्योरे भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आमजन इसे देख सकें।

वेबसाइट की अनिवार्य सुरक्षा संपरीक्षा हुई है और यह इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करता है।

ई–अभिशासन

शासकीय कार्य में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत के लोकपाल ने जहां तक संभव हो ई–अभिशासन के प्रयोग का निर्णय लिया है। अब तक कार्यालय में निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।

शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर 'लोकपाल ऑनलाइन'

शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर अपने विकास के उन्नत चरण में है और इसे शीघ्र ही भारत के लोकपाल के कार्यालय में चालू कर दिया जाएगा। इसमें शिकायतों को ऑनलाइन जमा करने, समर्थनकारी प्रलेख को डिजीटल रूप से अपलोड करने की सुविधा होगी और यह शिकायकर्ता द्वारा शिकायतों की स्थिति का पता लगाने की भी अनुमति देगा। उपर्युक्त के अलावा, शिकायतों का संसाधन भी इलेक्ट्रॉनिक है और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और लोकपाल (परिवाद) नियम 2020 के अनुसार प्रक्रिया कार्य–प्रवाह पर आधारित है। शिकायतें आगे संसाधन के लिए चेतावनी के साथ एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में डिजीटल रूप से संचालित होगी, जब तक शिकायतों का निपटान न हो जाए। यह सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त जिम्मेवारी, पारदर्शिता और दक्षता के साथ शिकायतों के निपटान को तेज करेगा।

फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक संचलन (ई–ऑफिस)

भारत के लोकपाल के सचिवालय में ई–ऑफिस पूरी तरह कार्यान्वित की गई है। अब भारत के लोकपाल के सचिवालय में प्रशासनिक फाइलों का कोई भौतिक संचलन नहीं होता है। सभी कार्यालय प्रचालन जैसे कि आने वाले पत्राचार की डायरी, फाइलों का सृजन, एक डेस्क से दूसरे डेस्क को फाइलों का संचलन, विभिन्न स्तरों पर निर्णयों की रिकार्डिंग और रिकार्डों का प्रलेख बनाना पूर्णतः डिजीटलीकृत है। यह आईसीटी आधारित समाधान है, जिसने एक दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के साथ फाइलों एवं प्रलेखों की मौजूदा हाथ से हैंडलिंग को बदल दिया है। इसमें पारदर्शिता, दक्षता और संगठन की जिम्मेवारी में वृद्धि के साथ कागज रहित कार्यालय का दर्शन है। वेब–आधारित अनुप्रयोग होने के कारण आकस्मिकता की स्थिति में किसी स्थान से काम करने की एक बीपीएन अनुमति पर कर्मचारी इसमें कहीं से भी काम कर सकता है। आपदा प्रतिप्राप्ति प्रणाली बनाया गया है, जो सुनिश्चित करता है कि फाइलें किसी आपदा की स्थिति में नहीं खोएगा।

इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन (ई–एचआरएमएस)

भारत के लोकपाल के सचिवालय में ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) कार्यान्वित किया गया है। यह एनआईसी द्वारा विकसित एक वेब–आधारित समाधान है। इस प्रणाली का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा रिकॉर्ड के जरिए कार्मिक के बेहतर प्रबंधन के लिए संगठन को एक व्यापक, उत्पाद आधारित समाधान प्रदान करना है। इसके अलावा यह कर्मचारियों की सही संख्या, सेवानिवृत्ति प्रतिमान, भर्ती की योजना बनाने के लिए आने वाले वर्ष में अतिरिक्त आवश्यकता, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अपेक्षित निधियां, अतिरेक कर्मचारियों का अन्य विभागों/संगठनों में पुनः आबंटन जानने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करता है।

सेवा पंजी का डिजीटलीकरण किया गया है और ऑनलाइन मोड के जरिए सेवा पंजी का अद्यतनीकरण किया जा सकता है। इस प्रणाली को कर्मचारी के वेतन, जीपीएफ, सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) के साथ समेकित किया गया है। इसे कर्मचारी द्वारा किए गए दावे के भुगतान के लोक वित प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी समेकित किया गया है। इस प्रणाली को एपीएआर के लिए स्पैरो और चिकित्सा लाभों के लिए सीजीएचएस के साथ भी समेकित किया जाएगा। डैशबोर्ड सृजित किया गया है, जहां से कर्मचारी अपने अनुरोधों की स्थिति और महत्वपूर्ण ब्यौरे की आसानी से जांच कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए चेतावनी/अनुस्मारक का प्रावधान भी किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (स्पैरो)

इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (स्पैरो) समेकित निष्पादन मूल्यांकन डोजियर पर आधारित एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पीएआर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुकर बनाना है। पीएआर की रिकार्डिंग और संचलन उपयुक्त चरण पर विभिन्न तरीके की बनी बनाई चेतावनी व्यवस्था के कारण बाधा रहित, तीव्र और सुविधाजनक हो गया है। प्रणाली स्थिति जांच प्रदान करता है ताकि अधिकारी यह जान सके कि उनका पीएआर कहां लंबित है और उनके पास क्या लंबित है। स्पैरो अनुप्रयोग को लोकपाल के सचिवालय में कार्यान्वित किया गया है। यह प्रणाली पदधारियों के भरे हुए पीएआर को जमा करने में देरी को कम करने की आशा भी करता है।

भारत के लोकपाल का प्रतीक चिह्न एवं उद्देश्य

आंतरिक कार्यकरण एवं आमजन के साथ संवाद के लिए किसी संगठन का दृश्य पहचान

महत्वपूर्ण है। संगठन के कर्मचारियों के लिए यह मित्रता एवं टीम भावना की अनुभूति का प्रतीक है। दृश्य पहचान नागरिकों को संगठन के साथ संबद्ध होने में भी सहायता करता है। इसके मद्देनजर भारत के लोकपाल द्वारा अपना प्रतीक चिह्न और उद्देश्य बनाने का निर्णय लिया गया था, जो इस संस्थान के मूल्यों, विश्वासों और आचार को प्रस्तुत करे।

प्रतीक चिह्न एवं उद्देश्य के डिजाइन के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के माय गॉव प्लेटफार्म के जरिए किया गया। प्रतीक चिह्न के लिए 2236 प्रविष्टियों में से नीचे दिया गया इलाहाबाद के श्री प्रशांत मिश्रा के डिजाइन को भारत के लोकपाल द्वारा चुना और अपनाया गया।

यह प्रतीक चिह्न लोकपाल के शाब्दिक अर्थ– ''लोक'' का अर्थ आमजन और ''पाल'' का अर्थ रखवाल अर्थात् आमजन का रखवाल पर आधारित है। प्रतीक चिह्न विधि के अनुसार न्याय की स्थापना द्वारा भारत के लोकपाल द्वारा देश के लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा एवं देखभाल का संकेत देता है। यह आकारों में प्रतीकात्मक रूप से लोकपाल की स्थापना के भाव को प्रकट करता है जैसे कि ऑम्बड्समैन (न्यायाधीश बेंच), आमजन (तीन मानव चित्र), सतर्कता (आंखों की पुतली बनाते हुए अशोक चक्र), विधि (नारंगी रंग में पुस्तक का आकार) और न्यापालिका (नीचे रखा गया दो हाथ विशिष्ट संतुलन को बनाते हुए)। प्रतीक चिह्न लोकपाल के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्तुत करते हुए तिरंगे में है।

उद्देश्य के लिए 4766 प्रविष्टियों में कोई भी चयन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। तथापि, पूर्ण बेंच द्वारा ईशोपनिषद के निम्नलिखित प्रारंभिक श्लोक के भाग के चयन का निर्णय लिया गया :

ईशावास्यमिदंसर्वंयत्किञ्चजगत्यांजगत्।
तेनत्यक्तेनभुञ्जीथामागृधःकस्यस्विद्धनम्।।

इस श्लोक की निम्नलिखित पंक्ति को प्रतीक चिह्न के साथ प्रयोग किए जाने हेतु भारत के लोकपाल के उद्देश्य के रूप में अपनाया गया :

''मागृधःकस्यस्विद्धनम्''

''किसी के धन का लोभ मत करो''

"Do not covet the wealth of others."

सूचना का अधिकार

भारत के लोकपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। भारत के लोकपाल के सचिवालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) की नियुक्ति की गई है, जो इस प्रकार है :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का नाम एवं पता	प्रथम अपीलय प्राधिकारी (एफएए) का नाम एवं पता
श्री अरुण कुमार, अवर सचिव, भारत के लोकपाल प्लॉट नं. 6, वसंत कुंज सांस्थानिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110070	श्री मनोज कुमार मिश्रा, उप सचिव भारत के लोकपाल प्लॉट नं. 6, वसंत कुंज सांस्थानिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110070
फोन नं. 011–26125024	फोन नं. 011–26125025

आवेदन एवं अपील

वर्ष 2019–20 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 154 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों को अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर निपटा दिया गया है। इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी 17 अपीलों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटा दिया गया है।

अध्याय 6

शिकायत समाधान

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यह आरोप लगाते हुए कि लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय एक अपराध किया है, भारत के लोकपाल के समक्ष शिकायत भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित नियमों में निर्धारित प्रारूप में किया जाना होता है। भारत सरकार ने 02.03.2020 को शिकायत फाइल करने के लिए प्रारूप युक्त लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। अभिशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमों की अधिसूचना से पहले नागरिकों से प्राप्त शिकायतों, चाहे वह किसी भी प्रारूप में प्राप्त हुआ था, पर भारत के लोकपाल ने विचार किया है।

विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतें

वर्ष 2019–20 के दौरान भारत के लोकपाल के कार्यालय में कुल 1427 शिकायतें प्राप्त हुई थी। विभिन्न श्रेणी के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। पाई चार्ट के रूप में इस विवरण की ग्राफीय प्रस्तुति चित्र–1 में प्रदर्शित है। नागरिकों से प्राप्त सभी शिकायतों को इस सारणी में शामिल किया गया है।

सारणी 1

विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतें

क.सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	राज्य सरकार के पदधारी, राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, न्यायिक संस्थानें और स्वशासी निकायें	613
2.	केन्द्र सरकार के पदधारी	245
3.	केन्द्र स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, न्यायिक संस्थानें और स्वशासी निकायों के पदधारी	200

क.सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
4.	निजी व्यक्ति एवं अन्य संगठनों के कार्यकारी	135
5.	राज्य सरकार के मंत्रीगण और विधान सभा के सदस्यगण	6
6.	केन्द्रीय मंत्रीगण एवं संसद के सदस्य	4
7.	अन्य	4
8.	अनुरोध, टिप्पणी या सलाह की प्रकृति की शिकायतें	220
	कुल	**1427**

चित्र 1 : विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतें

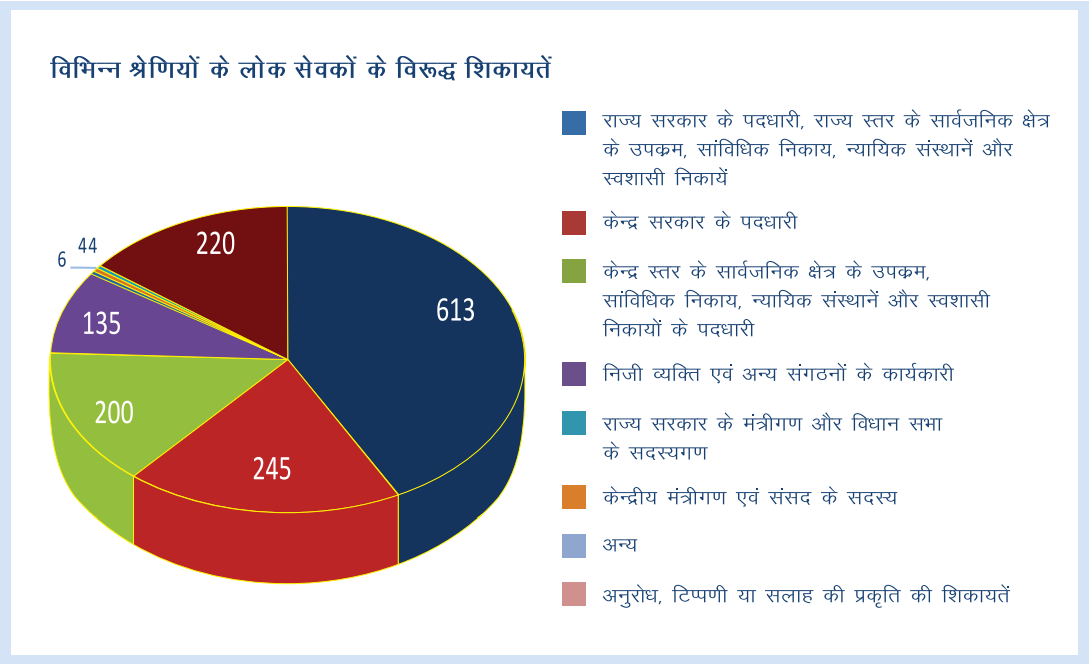

शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

1427 शिकायतों में से, 220 शिकायतें अनुरोध, टिप्पणी या सलाहकी प्रकृति की थीं। बाकी में से अधिकतम शिकायतें लोक सेवकों द्वारा कदाचार या गलत कार्रवाई से संबंधित थीं।

शिकायतों में आरोपों की प्रकृति पर आधारित विस्तृत वर्गीकरण सारणी–2 में दिया गया है। इस वर्गीकरण को पाई चार्ट के रूप में चित्र–2 में ग्राफीय रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2

शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

क.सं.	विषय मामला	शिकायतों की संख्या
1.	पदधारियों द्वारा कदाचार या गलत कार्रवाई	337
2.	सेवा मामले	283
3.	कपट एवं धोखाधड़ी	263
4.	संपत्ति से संबंधित विवाद	124
5.	पदधारियों द्वारा निष्क्रियता	123
6.	पदधारियों द्वारा अनुचित लाभ लेना	24
7.	अन्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ देना	6
8.	असंगत परिसंपत्ति	3
9.	अन्य	44
10.	अनुरोध, टिप्पणी या सलाह प्रकृति की शिकायतें	220
	कुल	**1427**

चित्र 2 : शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

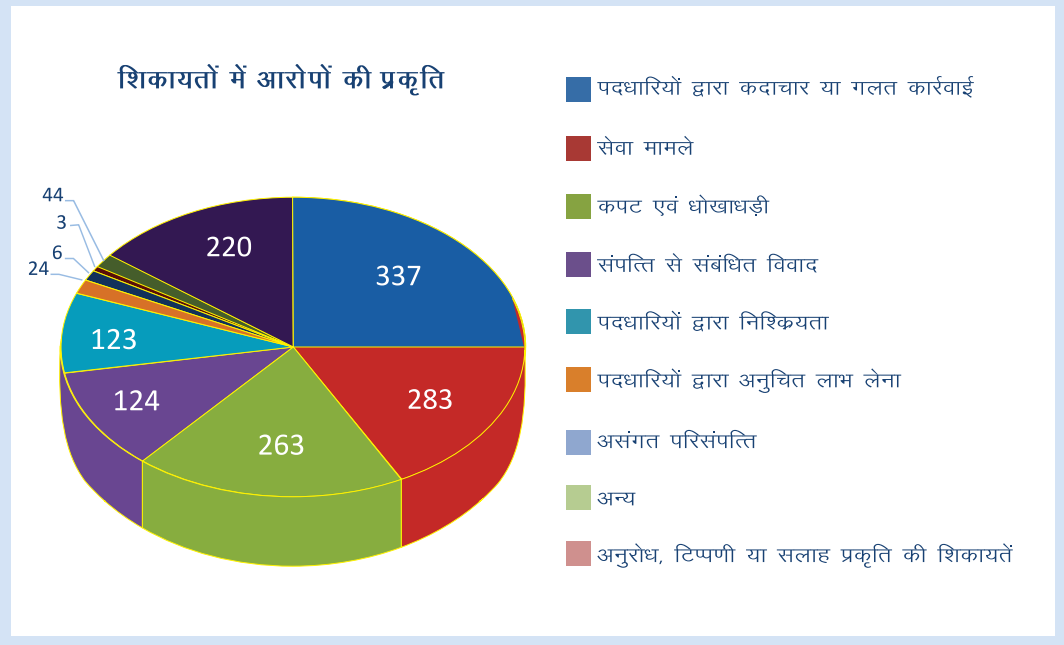

शिकायतों की उत्पत्ति का स्थान

भारत के लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों को उनकी उत्पत्ति का राज्य या संघशासित क्षेत्र जानने के लिए विश्लेषण किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों की संख्या को सारणी–3 में दिया गया है। इस वर्गीकरण को चित्र–3 के रूप में दंड आरेख में ग्राफीय रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3 : शिकायतों की उत्पत्ति का स्थान

क.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	शिकायतों की सं.
1.	उत्तर प्रदेश	361
2.	दिल्ली	156
3.	महाराष्ट्र	138
4.	राजस्थान	109
5.	बिहार	107
6.	मध्य प्रदेश	97
7.	हरियाणा	60
8.	झारखंड	38
9.	पश्चिम बंगाल	37
10.	कर्नाटक	36
11.	उत्तराखंड	31
12.	गुजरात	28
13.	उड़ीसा	27
14.	छत्तीसगढ़	26
15.	पंजाब	26
16.	तमिलनाडु	25
17.	आंध्र प्रदेश	20
18.	जम्मू एवं कश्मीर	19
19.	तेलंगाना	18
20.	केरल	11

21.	हिमाचल प्रदेश	8
22.	चंडीगढ़	6
23.	पुडुचेरी	6
24.	असम	5
25.	अरूणाचल प्रदेश	1
26.	त्रिपुरा	1
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
28.	भारत से बाहर	1
29.	पता नहीं दिया	28
	कुल	**1427**

चित्र 3 : शिकायतों की उत्पत्ति का स्थान

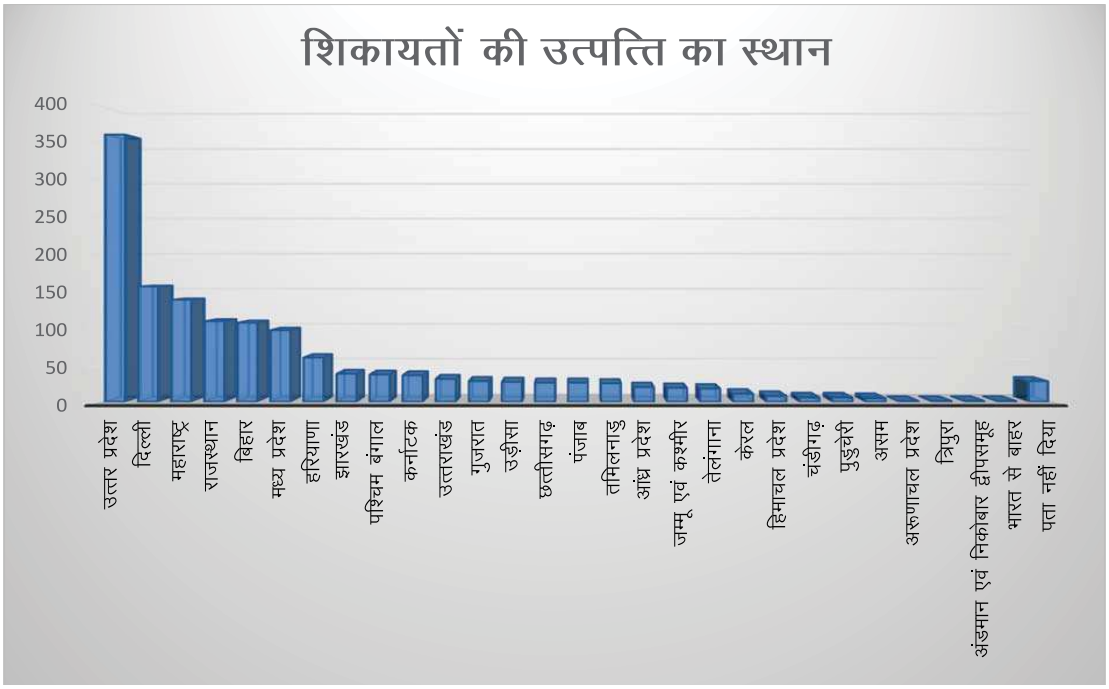

शिकायतों का निपटान

प्राप्त 1427 शिकायतों में से, 31 मार्च 2020 तक भारत के लोकपाल द्वारा 1347 शिकायतों पर विचार किया गया और उपयुक्त आदेश पारित किए गए। शेष 80 शिकायतों पर अगले वित्त वर्ष में आदेश पारित किए गए।

इनमें से 1218 शिकायतों को भारत के लोकपाल के क्षेत्राधिकार से परे होने या आगे की कार्रवाई हेतु तथ्य नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए। 37 मामलों में शिकायत को बंद कर दिया गया, क्योंकि यह किसी अन्य प्राधिकारी के हाथ में यह मामला चला गया था। 34 मामलों में, जहाँ लोकपाल द्वारा कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी, संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

88 मामलों में जहाँ भ्रष्टाचार के पर्याप्त आरोप लगाए गए थे, अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के बाद निर्धारित प्रारूप में शिकायत पुनः जमा करने की सलाह शिकायतकर्ता को दी गई है। 45 मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग या संबंधित मंत्रालय से जाँच रिपोर्ट या स्थिति रिपोर्ट माँगी गई थी। 31.03.2020 को विभिन्न एसेंसियों के पास लंबित शिकायतों की संख्या सारणी 5 में दी गई है।

कृत कार्रवाई के आधार पर वर्गीकरण

शिकायतों पर कृत कार्रवाई की प्रकृति के आधार पर एक विस्तृत वर्गीकरण सारणी–4 में दिया गया है। इस वर्गीकरण को चित्र–4 में पाई चार्ट में ग्राफीय रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4 : कृत कार्रवाई के आधार पर वर्गीकरण

क.सं.	कार्रवाई की प्रकृति	
1.	लोकपाल के क्षेत्राधिकार से परे	1218
2.	शिकायतकर्ता को निर्धारित प्रारूप में फाइल करने की सलाह दी गई	88
3.	स्थिति/जाँच रिपोर्ट के लिए भेजा गया	45
4.	अन्य प्राधिकारी मामला देख रहे हैं	37
5.	उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश	34
6.	अन्य	5
	कुल	**1427***
	*80 शिकायतें सहित, जिन्हें अगले वर्ष में निपटाया गया	

चित्र 4 : कृत कार्रवाई के आधार पर वर्गीकरण

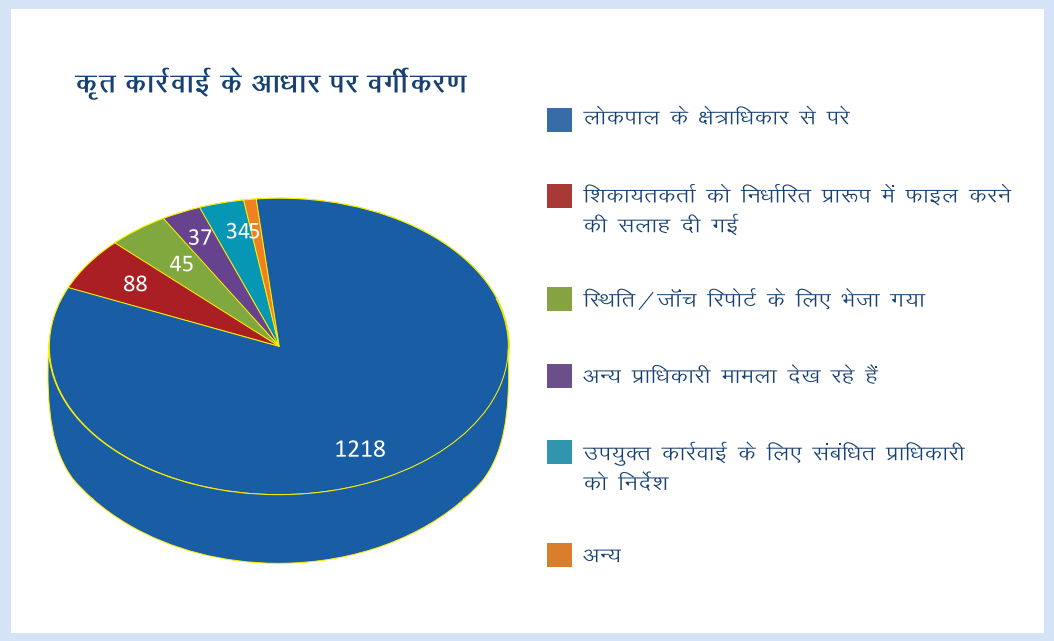

सारणी 5

31.03.2020 को विभिन्न एसेंसियों के पास लंबित शिकायतों/मामलों का ब्योरा

एजेंसी	मामलों की सं. जहॉ स्थिति रिपोर्ट मॉगा गया है	जॉच के लिए मामलों की सं.
केंद्रीय सतर्कता आयोग	25	4
दिल्ली पुलिस स्थापना	2	.
जल संसाधन मंत्रालय	1	.
आयकर महानिदेशक	1	.
संस्कृति मंत्रालय	2	.
रेलवे बोर्ड	.	1
उच्चतर शिक्षा विभाग	3	1
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	1	.
डाक विभाग	1	.
पोत परिवहन मंत्रालय	1	.

अध्याय 7

आगे का मार्ग

सरकार द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किए जाने और शिकायतों के लिए फॉर्म अधिसूचित किए जाने पर, प्रारंभिक कदम लोक सेवकों के विरूद्ध आमजन द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करना और लोकपाल के कार्यालय द्वारा जॉच हेतु इन शिकायतों को प्राप्त करना है। लोकपाल को प्रदत अधिदेश द्वारा कवर भ्रष्टाचार के मामलों में तीव्र एवं निष्पक्ष अन्वेषण तथा अभियोजन के लिए आगे का कदम बाद में लिया जाएगा। इनमें से कुछ को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

अधिकारियों की नियुक्ति

अधिकारियों और स्टाफ की सेवा की शर्तों के संबंध में विनियम:

अधिनियम की धारा 10 (2) में निदेशक जॉच की नियुक्ति का प्रावधान है और धारा 11(1) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा किए गए किसी दंडनीय अपराध की प्रारंभिक जॉच के आयोजन के उद्देश्य से निदेशक जॉच की अध्यक्षता में एक जॉच खंड गठित करने का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 10 (2) में निदेशक अभियोजन की नियुक्ति का भी प्रावधान है और धारा 12 में अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल द्वारा किसी शिकायत के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के लिए निदेशक अभियोजन की अध्यक्षता में एक अभियोजन खंड गठित करने का प्रावधान है। लोकपाल के निर्देश पर और अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निदेशक अभियोजन को विशेष अदालत के समक्ष एक मामला दायर करना और उक्त अभियोजन के संबंध में अपेक्षित कदम उठाना होता है।

लोकपाल आने वाले समय में इन दो कार्यालयों के गठन का प्रयास करेगा।

धारा 10 (4) में यह प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अध्यधीन, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों और स्टाफ की सेवा की शर्तें वैसी होगी, जैसा कि इस हेतु लोकपाल द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

धारा 10 (4) के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में विनियम को आने वाले समय में अंतिम रूप दिया जाएगा।

सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ाना

धारा 35 में केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से उत्पन्न या लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मामलों को सुनने एवं उस पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल द्वारा यथा संस्तुत विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। इन विशेष अदालतों को अन्य बातों के साथ–साथ लोकपाल या लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अंतर्गत इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की गई परिसंपत्तियों की कुर्की का पुष्ट करने की शक्ति होगी। इसके अलावा, धारा 31 के अंतर्गत इन विशेष अदालतों को विशेष परिस्थितियों में परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति होगी। धारा 35 (2) में यह भी प्रावधान है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मामलों का विशेष अदालतों में परीक्षण सामान्यता अदालत में मामला दायर करने के एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। लोकपाल विशेष अदालतों के केस लोड का मूल्यांकन करेगा और इस उद्देश्य से केंद्र सरकार को विशेष अदालतों की संख्या, जिसे गठित किए जाने की आवश्यकता है, के बारे में सिफारिश करेगा।

बढ़ती पहुँच

इस वर्ष प्राप्त शिकायतों के अवलोकन से यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में आमजन शिकायत के विषय मामले और व्यक्तियों की श्रेणी, जिनके खिलाफ शिकायत की जानी है, दोनों के हिसाब से लोकपाल को प्रदत्त अधिदेश के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। आने वाली अवधि में लोकपाल आमजन में निम्नलिखित के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी पहुँच को बढ़ाएगा :

- लोकपाल को प्रदत्त अधिदेश द्वारा कवर लोक सेवकों की श्रेणियां,

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों द्वारा कवर अपराधों की प्रकृति,

- फॉर्म, जिसमें शिकायतें दर्ज करनी है और

- अन्य प्रासंगिक मामले अपेक्षित है।

परिशिष्ट–I

31.03.2020 को स्वीकृत पदें एवं पदस्थता स्थिति

पद का नाम	7वें कें.वे.आ. के अनुसार वेतनमान स्तर	स्वीकृत कार्मिक संख्या	पदस्थ
सांविधिक पदें			
सचिव	स्तर.17	1	1
जॉच निदेशक	स्तर.15	1	0
अभियोजन निदेशक	स्तर.15	1	0
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदें*			
संयुक्त सचिव	स्तर.14	2	1
निदेशक/उप सचिव	स्तर.13/स्तर.12	5	1
वरिष्ठ पीपीएस	स्तर.12	12	9
अवर सचिव	स्तर.11	4	1
कोर्ट मास्टर/कोर्ट अधिकारी (अवर सचिव स्तर)	स्तर.11	3	0
लेखा अधिकारी	स्तर.10	1	1
अनुभाग अधिकारी	स्तर.8	5	3
सहायक लेखा अधिकारी	स्तर.8	2	1
सहायक रजिस्ट्रार/कोर्ट आशुलिपिक (अनुभाग अधिकारी स्तर)	स्तर.8	3	0
पीएस	स्तर.8	10	0
पीए	स्तर.7	6	1
एएसओ	स्तर.7	10	2
लेखाकार	स्तर.5	3	0
एलडीसी	स्तर.2	4	0
स्टाफ कार ड्राईवर	स्तर.2	12	12
एमटीएस (आउटसोर्सिंग आधार पर)	मजदूरी के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार	42	35
डाटा एंट्री ऑपरेटर		20	17
कुल		**144**	**84**

'पत्र सं. 407/19/2019–एवीडी–IV (एलपी) दिनांक 4.09.2019 और आदेश सं 407/03/2014–एवीडी–IV(बी) (भाग 2) दिनांक 27.09.2019 द्वारा स्वीकृत पदें।

परिशिष्ट–II

निम्नलिखित स्वीकृत पदों को संबंधित सचिवालयीय सेवा के संवर्गों में शामिल किया गया है:

पद	पदों की सं.	सचिवालय सेवा
निदेशक/उप सचिव	5	केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस)
वरिष्ठ पीपीएस	12	केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस)
अवर सचिव	4	केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस)
अनुभाग अधिकारी	5	केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस)
पीएस	10	केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस)
पीए	6	केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस)
एएसओ	10	केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस)
एलडीसी	4	केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस)
कुल	**56**	